भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3430

23 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

पीएम-ईबस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना

3430 श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः

श्री मस्तान राव यादव बीडाः

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम-ईबस सेवा-पीएसएम योजना की कार्यान्वयन प्रगति क्या है, जिसमें सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के तहत राज्य-वार ई-बसों का आवंटन शामिल है;
(ख) इस योजना के तहत स्थापित भुगतान सुरक्षा ढांचे का ब्यौरा क्या है, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) की भूमिका शामिल है;
(ग) स्वीकृत बसों की तैनाती और संचालन के लिए निर्धारित समय-सीमा और इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए परिचालन समर्थन की अवधि क्या है;
(घ) क्या सरकार ने पीटीए द्वारा चूक की स्थिति में बकाया वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ प्रत्यक्ष नामे अधिदेश तंत्र के संचालन की समीक्षा की है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क), (ख), (घ) और (ड.): पीएम-ई-बस सेवा-पीएसएम योजना के नोडल मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीएम ई-बस सेवा-पीएसएम योजना 28.10.2024 को अधिसूचित की गई थी। भुगतान सुरक्षा तंत्र के लिए योजना दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रकाशित की गई है।

पीएम-ई-बस सेवा-पीएसएम योजना के तहत मैसर्स कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है और इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समर्पित भुगतान सुरक्षा कोष का प्रबंधन

करता है। उन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएसएम फंड स्थापित करने के लिए पहली किश्त में 500 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है। वे रियायत समझौतों (सीए) और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान दावों की समीक्षा और सत्यापन करते हैं। वे भुगतान सुरक्षा तंत्र के तहत निधि संवितरण के लिए एसओपी विकसित करने और सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के तहत राष्ट्रीय स्तर पर ई-बस संचालन की जानकारी को एकत्रित करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। इस योजना के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक के मामले में, मैसर्स सीईएसएल भुगतान सुरक्षा निधि से अनुमोदित राशि को बस ऑपरेटर के एस्क्रो खाते में संवितरित करेगा और बाद में लागू अधिभार के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित राज्य/पीटीए से वसूली करेगा। यदि पीटीए 90 दिनों के भीतर एलपीएस (लेट पेमेंट सरचार्ज) के साथ संवितरित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो भारी उद्योग मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) को लागू करने का अनुरोध करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के खाते को डेबिट करेगा और लागू एलपीएस सहित योजना निधि को जमा करेगा।

12.03.2026 तक, उन 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) जमा किया है, जिन्होंने या तो भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) की पीएम ई-ड्राइव योजना या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम-ई-बस सेवा योजना में भाग लिया है। चूंकि बसें शुरू किए जाने के चरण में हैं, इसलिए पीएम-ई-बस सेवा-पीएसएम योजना के तहत, आज की तारीख तक पीटीए द्वारा किसी भुगतान चूक की सूचना नहीं दी गई है और इस दौरान किसी दावे पर कार्रवाई नहीं की गई है।

28.02.2026 तक, सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए) द्वारा पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत 6,228 बसों के लिए निविदा और 4,720 बसों के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए गए हैं। आबंटित ई-बसों का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग) पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने भाग लेने वाले शहरों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की अनुमानित समय-सीमा के रूप में 31 मार्च 2027 की परिकल्पना की है, जो संबंधित डिपो इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य के पूर्ण होने पर निर्भर करती है।

अनुलग्नक-I

आबंटित ई-बसों का राज्य-वार विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बसों की संख्या		
		पीएम ई-ड्राइव (भारी उद्योग मंत्रालय)	पीएम-ईबस सेवा (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)	कुल
1	गुजरात	1,800	750	2,550
2	कर्नाटक	4,500	750	5,250
3	महाराष्ट्र	2,500	1,609	4,109
4	तेलंगाना	2,200	151	2,351
5	दिल्ली	2,800	-	2,800
6	आंध्र प्रदेश	-	1,050	1,050
7	मध्य प्रदेश	-	972	972
8	मेघालय	-	55	55
9	ओडिशा	-	400	400
10	पंजाब	-	447	447
11	पुडुचेरी	-	75	75
12	राजस्थान	-	1,150	1,150
13	जम्मू और कश्मीर	-	200	200
14	असम	-	100	100
15	उत्तराखंड	-	137	137
16	मणिपुर	-	50	50
17	अरुणाचल प्रदेश	-	50	50

18	गोवा	-	50	50
19	हरियाणा	-	450	450
20	बिहार	-	400	400
21	छत्तीसगढ़	-	240	240
22	केरल	-	293	293
23	हिमाचल प्रदेश	-	50	50
24	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	-	50	50
25	चंडीगढ़	-	428	428
26	लद्दाख	-	48	48
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	45	45
	कुल	**13,800**	**10,000**	**23,800**

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम-ई-बस सेवा योजना के तहत 6,228 बसों के संबंध में निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई। शेष 3,772 बसों के लिए निविदा जल्द ही प्रकाशित होगी।
